



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2015/माघ 24, 1936

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2015/MAGHA 24, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 द्वारा नाइट्रो-ग्लिसरीन या ऐसे अन्य पदार्थ का चाहे वह एकल रासायनिक यौगिक हो या ऐसे विस्फोटकों (वर्ग 3 के खंड 1 के विस्फोटक) के मिश्रण के धारण, बिक्री और उपयोग को प्रतिषेध कर दिया गया था और उक्त अधिसूचना में उक्त विस्फोटकों के विद्यमान भंडार के निस्तारण की विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 530(अ), तारीख 20 अगस्त, 2004 1 दिसंबर, 2004 तक को विस्तारित किया था ;

और सरकार की 'रक्षा उत्पादन नीति' के उद्देश्य, जो 1 जनवरी, 2011 से प्रवृत्त हुई, में रक्षा उपस्करों और आयुध प्रणाली के उत्पादन में स्वतः विश्वसनीयता प्राप्त करती है। उक्त नीति में निजी उद्योगों का इस प्रयास में सक्रिय भूमिका लेने के लिए प्रेरक दशाओं को उत्पन्न करने का उद्देश्य भी है ;

और नाइट्रो-ग्लिसरीन द्वितीयक आधार और तृतीयक आधार नोदक के उत्पादन के लिए उपयोग में आती है, जिसका रक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए आयुधों की तैयार करने में उपयोग होता है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 21 जनवरी, 2004 के उपबंधों के अनुपालन से संघ के सशस्त्र बलों, आर्डिनेंस, कारखानों या रक्षा बलों के अन्य स्थापनों द्वारा उपयोग के लिए नाइट्रो-ग्लिसरीन और/या विस्फोटकों आधारित नाइट्रो-ग्लिसरीन के विनिर्माण से प्राइवेट सेक्टरों की विनिर्माण इकाइयों को छूट प्रदान करती है। ऐसी विनिर्माण इकाइयां विस्फोटक नियम, 2008 के अतिरिक्त विस्फोटक

समिति की भंडारण और परिवहन (वि.स.भ.प.) पुस्तिका का और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्राप्त रक्षा उद्योगों के सुरक्षा मैनुअल का अनुपालन करेगी।

[फा.सं. 5(147)/2014-विस्फो.]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2015

G.S.R. 88(E).—Whereas the Central Government had prohibited the possession, sale and use of the nitro-glycerine or such other substance whether a single chemical compound or a mixture of such explosives (explosive of Class 3 Division 1) vide number G.S.R. 59(E), dated the 21st January, 2004 and the time limit specified in the said notification was extended to dispose of the existing stock of said explosives till the 1st day of December, 2004 vide number G.S.R. 530(E), dated the 20th August, 2004;

And whereas, the objective of the 'Defence Production Policy' of the Government which came into effect from 1st January, 2011 is to achieve substantive self-reliance in the production of defence equipments and weapon systems. The said policy also aims at creating conditions conducive for the private industry to take an active role in this endeavor;

And whereas, nitro-glycerine is used for production of double-base and triple-base propellants, which are used in preparation of ammunition for use by the defence forces;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts manufacturing units in private sector to manufacture nitro-glycerine and/or nitro-glycerine based explosives for use by Armed Forces of the Union, Ordnance Factories or other establishments of Defence Forces from operation of provisions of the notification number G.S.R. 59(E), dated the 21st January, 2004 from the date of publication of this notification. Such manufacturing units shall adhere to the provisions of Storage and Transportation of Explosives Committee (STEC) Pamphlets and Security Manual for Licensed Defence Industries issued by the Ministry of Defence in addition to provisions of the Explosives Rules, 2008.

[F. No. 5(147)/2014-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.